लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा ग्राम–सकरी, जिला–रायपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड सिटी सेनिटेशन एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के प्रोसेसिंग प्लांट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 15.01.2016 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा ग्राम–सकरी, जिला–रायपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड सिटी सेनिटेशन एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के प्रोसेसिंग प्लांट हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने के लिये लोक सुनवाई कराने बावत् छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया। दैनिक भास्कर तथा हिंदुस्तान टाईम्स (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर दिनांक 15.01.2016 दिन शुक्रवार को समय दोपहर 12:00 बजे से परियोजना स्थल ग्राम सकरी, जिला रायपुर (छ.ग.) में सुनवाई नियत की गई, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित की गई।

उद्योग की प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 15.01.2016 को ए.डी.एम. रायपुर श्री डी. सिंह, जिला रायपुर की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान डॉ0 एस.के. उपाध्याय क्षेत्रीय अधिकारी, नगर पालिक निगम रायपुर के कार्यपालन अभियंता श्री मालवे, जिला पंचायत के मान्नीय सदस्य, ग्राम पंचायतों के मान्नीय सरपंच, आस–पास के क्षेत्र के लगभग एक सौ जनसामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई दोपहर 12:20 बजे प्रारंभ की गई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गयें है, उनकी सूची संलग्नक–2 अनुसार है।

3. क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 एस.के. उपाध्याय ने प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये ए.डी.एम. महोदय से जन सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया।

4. ए.डी.एम. श्री डी. सिंह ने प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की तथा परियोजना प्रस्तावक को परियोजना के संबंध में विवरण देने हेतु निर्देशित किया।

5. नगर निगम के कार्यपालन अभियंता श्री मालवे ने परियोजना के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि शासन द्वारा नगर पालिक निगम को परियोजना हेतु ग्राम सकरी में लगभग 27 हेक्टेयर भूमि आबंटित की गई है। उक्त भूमि पर इंटीग्रेटेड सिटी सेनिटेशन एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का प्रोसेसिंग प्लांट प्रस्तावित है। कचरे से आर. डी.एफ. बनाया जायेगा, कचरे को फिल्टर करने के बाद कचरे की प्रोसेसिंग से खाद का निर्माण किया जायेगा तथा बचे हुये शेष इनर्ट मटेरियल को भूमि भराव हेतु उपयोग किया जायेगा।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1 श्री चंद्रेश कुमार गायकवाड़, ग्राम सकरी ने कहा कि नगर निगम द्वारा कचरा फेंका जा रहा है, इसकी सफाई कैसी की जायेगी, जानवर कचरा खाकर बीमार हो रहे हैं।

2 श्री नारायण प्रसाद कुर्रे, पूर्व सरपंच ग्राम सकरी ने कहा कि यह जगह आने वाली पीढ़ि के लिये सुरक्षित रखी गई है। निगम द्वारा कचरा फेंकने से यहां के लोग विस्थापित हो रहे हैं। फेंके गये कचरे, जिसमें जानवरों के मांस के टुकड़ों आदि को कुत्ते आस–पास के गांव में फैला रहें हैं, जिससे प्रदूषण की स्थिति निर्मित हो रही है। कचरे के प्लास्टिक अपशिष्ट, पॉलिथिन को खाकर जानवर मर रहें हैं। सामने हॉउसिंग बोर्ड की कालोनी है, समीप में सतनामी समाज का मेला भी लगता है, कचरे का पानी रिसकर तालाबों में जा रहा है। गांव निगम में नहीं है, एक टुकड़ा जमीन भी शासन के पास नहीं जानी चाहिये, निगम द्वारा एकतरफा कार्यवाही की गई है, हमारी कही बात भी जनसुनवाई में जानी चाहिये। हम नहीं चाहते कि हमारी जमीन नगर निगम को दी जावे और यहां कचरे का प्रोसेसिंग प्लांट लगे।

3 श्री नेमीचंद धीवर, सरपंच ग्राम पंचायत तुलसी ने कहा कि कचरे से गांव प्रदूषित हो रहा है, मवेशी, जानवर खतम हो रहे हैं। अगस्त महीने में कचरे की 10 गाड़ियां गांव वालों द्वारा पकड़ी गई थी, जिसके संबंध में कलेक्टर तथा निगम को आवेदन दिया गया था। यह जमीन खेलकूद, गांव के उपयोग के लिये है। हम यह जमीन नहीं देना चाहते। यहां प्लांट नहीं लगना चाहिये।

4 श्री नारायण प्रसाद शर्मा, ग्राम तुलसी ने कहा कि यहां का पर्यावरण खराब हुआ, वह शहर की गंदगी से हुआ है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, आज पूरे शहर की गंदगी को हमारे गांव में फेंका जा रहा है, अधिकारी साथ दे रहें हैं। आस–पास के क्षेत्र में मेला लगता है। मैं अपील कर रहां हूं, संदेश के रूप में बोल रहा हूं, कृपया इस संबंध में ध्यान दिया जावे।

5 श्री रॉबिन साहू, ग्राम कचना ने कहा कि नगर निगम द्वारा कचरे को आस–पास के 4–5 गांवों कचना, आमासिवनी, सकरी, बाराडेरा, तुलसी में फेंका जाता है। पिछले पांच वर्षों से दुविधाजनक स्थिति रही है, पहले यहां खेती होती थी, प्राकृति सौंदर्य था, पर्यावरण अच्छा था, नगर निगम के आने के बाद न ही खेती हो रही है और न ही पेड़ बचें हैं। हमारे ग्राम सकरी को कचरा प्रोसेसिंग प्लांट बनाने के लिये चयनित किया गया है, मैं इस प्लांट का विरोध करता हूं। यह क्षेत्र पहले बहुत अच्छा था, अब प्रदूषण फैल गया है। प्लांट पहले से प्रदूषित जगह पर लगाया जाना चाहिये। बार–बार विनती है कि यह प्लांट यहां नहीं आना चाहिये। यदि इस प्लांट का निर्माण होता है, तो हम घोर विरोध करेंगें।

6 श्री चंदूलाल धीवर, पूर्व सरपंच ग्राम तुलसी ने कहा कि नगर निगम की गंदगी तुलसी, कचना के क्षेत्र में डालने से प्रदूषण फैल रहा है, मक्खी, मच्छर बढ़ गये हैं, हवा चलने से बदबू फैलती है, बरसात में इतनी मक्खियां बढ़ जाती हैं, कि भोजना करना मुश्किल हो जाता है। मेरा शासन से, जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि इसे रोका जावे, बाराडेरा में बहुमूल्य मंदिर का निर्माण हुआ है, लोग दर्शन करने आते थे, अब गंदगी के कारण लोगों का आना कम हो गया है, तालाब का पानी गंदा हो गया है, पानी पीने लायक नहीं है। निवेदन करता हूं कि इसे रोकें, इसी में हम सबकी भलाई है।

7 श्री संतराम यादव, सरपंच धनसुली ने कहा कि नगर निगम द्वारा फेंके जा रहे कचरे से आस–पास का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। धर्म–स्थल, मेला स्थल प्रदूषित हो रहा है, मच्छर, गंदगी फैल रही है, कचरा यहां नहीं डाला जावे तथा इस कचरे की साफ–सफाई की व्यवस्था की जावे।

8 श्री अरविंद सिंह ठाकुर, ग्राम दौंदेकला ने कहा कि मैं इस प्लांट के विरोध में आपत्ति दर्ज करा रहा हूं। ग्राम बाराडेरा आस्था का केन्द्र है, यहां सतनामी समाज का मेला व बाजार लगता है, यहां कचरा नहीं डाला जावे, मैं समस्त नागरिकों सहित इसका विरोध करता हूं, नगर निगम के लोग शहरों से कुत्ते लाकर यहां छोड़ते हैं, जो जानवरों और रहवासियों को काट रहे हैं, दौंदेकला में कुत्ते दो मवेशियों को काटे हैं, विरोध करने पर निगम में कोई सुनवाई नहीं होती है। रूपरेखा तय करके यह प्लांट 20 से 30 कि.मी. की दूरी पर जंगल में खोला जावे।

9 श्री पप्पू बंजारे ने कहा कि नगर निगम द्वारा पहले भी बिना अनुमति के यहां कचरा डाला जा रहा था, जिसका पहले भी विरोध किया गया, कचरे के साथ जानवरों का शव आदि भी फेंक दिया जाता है, चील कौंवे इसे फैलाते हैं, मक्खी–मच्छर से बीमारी फैल रही है, मौंते हो रही है, नगर निगम के ठेकेदार कचरा रोड में डाल रहे हैं, जिसकी विधानसभा थाना में शिकायत की गई थी। कुम्हारी के मध्य में बहुत बड़ा खुला प्लाट है, प्लांट वहां लगना चाहिये। यहां नजदीक में विधानसभा एवं गांव हैं, बाराडेरा गुरू अमरदास का धाम है, आस्था का केन्द्र है। प्रोसेसिंग प्लांट नहीं खुलना चाहिये, हम सब इसका खुला विरोध करते हैं।

10 श्री टी.आर. सिन्हा, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम सकरी ने कहा कि 2006 के आस–पास जमीन लेने के लिये एकतरफा कार्यवाही हुई थी, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, चारों गांव में लगभग 16,000 लोगों की मिटिंग हुई है, हम उनके प्रतिनिधि के तौर पर विरोध कर रहे हैं, यह प्लांट यहां नहीं होना चाहिये, हम 16,000 लोगों की ओर से पुरजोर आपत्ति कर रहे हैं, चार सालों से कचरा डाला जा रहा है, बोरिंग का पानी खराब हो चुका है, जानवरों के शव फेंक दिये जाते हैं, कचरा नगर निगम के क्षेत्र में डाला जावे।

11 श्री नारायण प्रसाद कुर्रे ने कहा कि जगह हम नहीं छोड़ेगें, न ही जगह देगें, पुरजोर विरोध है, कटा–फटा मांस कुत्ते गांव में ले जाते है, जगह हम नहीं देना चाहते, आप स्कूल बनायें, भवन बनायें, चिकित्सा केन्द्र बनायें उसके लिये जमीन दी जायेगी। हम प्रोसेसिंग प्लांट के लिये जगह नहीं देगें।

12 श्री लक्ष्मीनाथ पाल, ग्राम सकरी ने कहा कि चारों गांव के लोग विरोध में हैं, यहां पर यह परियोजना नहीं आनी चाहिये।

13 श्री अजय लूथरा, ग्राम सकरी ने कहा कि यहां पर वेस्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है, मेरी निजी जमीन पर भी कचरा फेंका जा रहा है, क्या निगम द्वारा स्थल का सीमांकन कराया गया है ? मेनरोड पर कचरा डाला जा रहा है, यह नगर निगम का क्षेत्र नहीं है, सामाज का मंदिर है, हाउसिंग बोर्ड कालोनी है, हमारे गांव को क्या मिलेगा ?

नगर निगम के कार्यपालन अभियंता श्री मालवे ने जानकारी देते हुये कहा कि यहां प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है, कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन किया जायेगा, कचरे से खाद, ईंट बनेगी तथा इनर्ट मटेरियल से लैंड फिल साईट डेवलप की जायेगी। प्लांट से कोई परेशानी नहीं होगी, बोरिंग का पानी खराब नहीं होगा।

अंत मे अपर कलेक्टर श्री डी. सिंह ने उपस्थित जनसामान्य को अवगत कराते हुये बताया कि जन सुनवाई में उपस्थित जनसमुदाय द्वारा जो भी लिखित, मौखिक आपत्ति अथवा मांग के रूप में जो भी विचार व्यक्त किये गये हैं, उसकी सम्पूर्ण विडियोग्राफी हुई है, आपकी भावनायें एवं

आपके द्वारा प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियां सक्षम स्तर पर यथावत पहुंचा दी जायेंगी। तत्पश्चात जन सुनवाई की कार्यवाही संपन्न हुई।

यह लोक सुनवाई प्रातः लगभग 12:20 बजे प्रारंभ होकर दोपहर लगभग 01:30 बजे संपन्न हुईं। लोक सुनवाई के पूर्व एवं लोक सुनवाई के दौरान तथा लोक सुनवाई के पश्चात कुल 06 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जो संलग्नक–1 अनुसार है। संपूर्ण लोक सुनवाई की विडियोग्राफी की गई।

(डी. सिंह)
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त
जिला दण्डाधिकारी, रायपुर,
जिला रायपुर (छ.ग.)